क्र. रा.के.वि./फा.176/2026/5633 दिनांक: 20.05.2026

खुली बोली / नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय बांदरसिंदरी परिसर के लगभग 88 एकड़ भूमि में छोटे बड़े विलायती कांटेदार झाडियों सहित व अन्य झाड़ीनुमा पौधो को जड़ो सहित उखाड़ कर ले जाने हेतु इन झाडियों-पौधो की उपलब्धता जैसे है वैसी स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नीलामी की जाएगी! अत: जो भी व्यक्ति / संस्था नीलामी में भाग लेना चाहे वो दिनांक 29.05.2026 (शुक्रवार) को 3:00 बजे तक परिसर में उपस्थित होकर बोली लगा सकते है। खुली बोली पर नीलामी निविदा की सभी शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.curaj.ac.in पर उपलब्ध है अथवा सम्पदा कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस समय (प्रातः10.00 बजे से सायं 05.00 बजे) तक प्राप्त कर सकते है। निविदा को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा ।

नीलामी की शर्ते निम्न प्रकार होगी:

1. विलायती बबूल तथा कांटेदार झाड़ियो को उखाड़ने से होने वाले खड्डों को उसी समय साफ कर समतल करना होगा |
2. परिसर में लगे खेजड़ी के पेड़ / पोधो को पहले से चिन्हित कर उनको संरक्षित करना अनिवार्य है क्योंकि खेजड़ी का पेड़ राजस्थान के राजकीय पोधे के तौर पर अधिसूचित है |
3. विश्वविद्यालय परिसर में लगे हुए पोधो जैसे खेजड़ी, नीम अन्य फलदार एवं छायादार छोटे -बड़े पेड़ को उखाड़ने की अनुमति नही होगी |
4. कार्य के दौरान आने वाले पत्थर जो JCB के माध्यम से उखाड़ा जा सके उसे उस स्थान से माइनिंग एरिया के पास रखना होगा और एरिया को समतल करना होगा |
5. इस कार्य को कार्य आदेश जारी होने की दिनाक से 45 दिन में पूर्ण करना होगा |
6. कार्य समाप्त होने के उपरान्त कार्य मानक अनुरूप न होने के कारण ठेकेदार की जमानत राशि जप्त कर ली जाएगी और उसे विश्वविद्यालय परिसर से लकड़ी बाहर ले जाने की अनुमति नही दी जाएगी जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी |
7. आपके द्वारा कुल उच्चतम बोली राशि का 50% आपके बोली खुलने के समय ही विश्वविद्यालय के खाते में जमा करवानी होगी |
8. आपके द्वारा पेड़ उखाड़ने एवं भूमि को समतल करने के उपरान्त झाडियों को विश्वविद्यालय से बाहर ले जाने से पहले शेष 50% राशि विश्वविद्यालय के खाते में जमा करवाकर रसीद सम्पदा अनुभाग में जमा करवानी होगी| बोली की पूर्ण राशि जमा करवाने के बाद ही आपको विश्वविद्यालय के बाहर कटी झाडियों को ले जाने की अनुमति होगी |
9. कटी झाडियों को केवल कार्य समाप्त होने एवं कार्य मानक अनुरूप होने के बाद ही झाडियों को एक बार मे बाहर ले जाने की अनुमति होगी |

10. विलायती बबूल को हटाने से पहले और बाद के विस्तृत फ़ोटोग्राफ़ रिकॉर्ड के लिए ठेकेदार द्वारा जमा कराने होंगे!
11. कटी झाडियों को बाहर ले जाने बाले वाहनों द्वारा रोड पर होने बाला कचरा, गंदगी भी आपके द्वारा ही साफ़ करवानी होगी! जब तक कटी झाड़ियाँ विश्वविद्यालय परिसर में रहे तब तक इसके रख - रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी |
12. इस कार्य के लिए आपके द्वारा लगाये गए मजदूरों को विश्वविद्यालय परिसर में रात के समय ठहरने तथा कच्चा-पक्का निर्माण करने आदि की अनुमति नहीं होगी |
13. ठेकेदार को श्रमिकों का पुलिस सत्यापन करवाकर उसकी प्रतिलिपि आधार कार्ड के साथ सम्पदा अनुभाग में जमा करना होगा।
14. इस कार्य के लिए आने - जाने वाले मजदूरो को रोजाना गेट पर एंट्री करवानी होगी |
15. इस कार्य के लिए अंतिम भुगतान राशि वास्तविक माप (Actual measurement) के आधार पर मानी जाएगीं जो की कम या ज्यादा हो सकती है |
16. उपरोक्त कार्य के दोरान आप भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशानिर्देश / गाइडलाइनों / नियमो, वैधानिक अनुपालना आदि को ध्यान में रखकर कार्य करने क लिए बाध्य होंगे |
17. उपरोक्त नियम एवं शर्तो के अनुसार कार्य नहीं करने पर अग्रिम जमा राशि जब्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा |
18. यह कार्य करने के लिए कार्य को 3 भू-भाग में बिभाजित करना होगा
    क. Type-B Quarters के दाहिने और तथा गेस्टहाउस के पास लगभग भू-भाग 33.35 एकड़
    ख. Type-B Quarters के वहिने और तथा STP के पास और 5 लाख टैंक के पास लगभग भू-भाग 21.25 एकड़ |
    ग. Type-C Quarters के पास और मेगा मेस के पास लगभग भू-भाग 33.23 एकड़
19. बोली मान्य व अमान्य करने का पूर्ण अधिकार निविदा समिति को होगा ।
20. बोली लगाने बाले ठेकेदार / फर्म का बैंक में खाता होना आवश्यक है ।

कुलसचिव

कुलसचिव / Registrar
राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Rajasthan

प्रतिलिपि:

1. कुलपति सचिवालय
2. कार्यालय वित्त अधिकारी
3. सम्पदा विभाग / सुरक्षा अधिकारी
4. कार्यालय उप-जिला अधिकारी / तहसीलदार,किशनगढ़
5. कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी,किशनगढ़
6. विश्वविद्यालय नीलामी समिति
7. सूचना पट्ट, विश्वविद्यालय परिसर